भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *265

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों का व्यवस्थित अनुरक्षण और मरम्मत

*265.श्री राजेश वर्मा:

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समस्तीपुर, खगड़िया, सूरत, राजमुंदरी, सागर और गाजियाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यवस्थित अनुरक्षण और मरम्मत (एम एंड आर) को सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति लागू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) और प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) संविदाओं के अंतर्गत राजमार्गों के अनुरक्षण में रियायतग्राहियों या ठेकेदारों की भूमिका और जिम्मेदारी क्या है;

(ग) क्या पथकर प्रचालन और हस्तांतरण (टीओटी) और अवसंरचना निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) मॉडल के अंतर्गत आने वाले राजमार्ग खंड भी इसी प्रकार के अनुरक्षण संबंधी जिम्मेदारी ढांचे का अनुसरण करते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अन्य खंडों के लिए निष्पादन आधारित अनुरक्षण संविदाओं (पीबीएमसी) अथवा अल्पावधि अनुरक्षण संविदाओं (एसटीएमसी) को अपनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये संविदात्मक मॉडल देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के समय पर और गुणवत्तापूर्ण अनुरक्षण को सुनिश्चित करने में किस प्रकार सहायता करते हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'राष्ट्रीय राजमार्गों का व्यवस्थित अनुरक्षण और मरम्मत' के संबंध में श्री राजेश वर्मा और श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल द्वारा दिनांक 18.12.2025 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 265 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में विवरण।

(क) सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क के अनुरक्षण को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ समस्तीपुर, खगड़िया, सूरत, राजामुन्दरी, सागर और गाजियाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के अनुरक्षण और मरम्मत (एम एंड आर) को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यतंत्र विकसित किया है, जिसके तहत उत्तरदायी अनुरक्षण एजेंसी के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा।

(ख) से (ङ) संचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) परियोजनाओं के लिए रियायत अवधि आम तौर पर 9 वर्ष होती है, जिसमें सुचारू यातायात प्रबंधन सहित नियमित और आवधिक अनुरक्षण का उत्तरदायित्व रियायतग्राही के पास होती है।

टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) और इनविट परियोजनाओं के लिए, रियायत अवधि 20 से 30 वर्ष की होती है, जिसमें रियायतग्राही करार समझौते की शर्तों के अनुसार परियोजना स्थल के हस्तांतरण के बाद रियायत अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है।

नियमित अनुरक्षण गतिविधियाँ, जिनमें आवधिक प्रमुख अनुरक्षण भी शामिल है, अनुरक्षण की अनुसूची/कार्य निष्पादन मानकों के अनुसार संविदाकार/रियायतग्राही द्वारा उनकी संबंधित रियायत/करार अवधि के भीतर की जाती हैं।

सड़क की स्थिति के संबंध में चिन्हित दोषों/समस्याओं की मरम्मत संविदाकार/रियायतग्राही द्वारा संविदा करार और उसकी अनुसूचियों [टीओटी/इनविट/ओएमटी परियोजनाओं के लिए अनुसूची एफ] के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर की जाती है। प्राधिकरण अभियंता (एई) / स्वतंत्र अभियंता (आईई) और प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा नियमित क्षेत्रीय दौरों और निरीक्षणों के माध्यम से अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन सभी खंडो के लिए जो किसी संविदा/रियायत के अंतर्गत नहीं आते हैं, सरकार ने निष्पादन आधारित अनुरक्षण संविदा (पीबीएमसी) या अल्पकालिक अनुरक्षण संविदा (एसटीएमसी) के माध्यम से अनुरक्षण कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है। एसटीएमसी कार्य आमतौर पर 1-2 वर्ष की संविदा अवधि के लिए किए जाते हैं, जबकि पीबीएमसी कार्य लगभग 5-7 वर्ष की संविदा अवधि के लिए किए जाते हैं।

*****